

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 32/2023-24 तारीख दायर :-18.10.2023 दिनांक निर्णय :-07.12.2023

पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामकुवार जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
2. भगवान सहाय पुत्र रामकुवार जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
3. भागचन्द पुत्र रामकुवार जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
4. देवकरण पुत्र गंगा सहाय जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
5. सन्तोष पुत्र गंगा सहाय जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
6. राजेन्द्र पुत्र गंगा सहाय जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम-1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीघोता द्वारा राजस्व ग्राम वीरपुर के आराजी खसरा नम्बर 824/820 रकबा 7.699 हैक्ट0 बरानी-2 सिवायचक के भाग 0.50 हैक्ट0 पर बाढ़ लगाकर अतिक्रमण करने पर बाबूलाल, भगवान सहाय, भागचन्द पुत्र रामकुवार, देवकरण, सन्तोष, राजेन्द्र पि0 गंगासहाय जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत् होकर प्राप्त हुई। नियत सुनवाई तारीख को गैरसायलान/अप्राथीगण उपस्थित रहे। गैरसायल द्वारा नोटिस जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। नोटिस जवाब में उक्त अतिक्रमण का वर्णन नहीं किया गया है व गैरसायल द्वारा इस सम्बंध में समय दिये जाने के बावजूद कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबडा व पटवारी हल्का बीघोता की रिपोर्ट सम्वत 2080 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक की भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी श्री बाबूलाल, भगवान सहाय, भागचन्द पुत्र रामकुवार, देवकरण, सन्तोष, राजेन्द्र पि0 गंगासहाय जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम वीरपुर के आराजी खसरा नम्बर 824/820 रकबा 7.699 हैक्ट0 बरानी-2 सिवायचक के भाग 0.50 हैक्ट0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में गु0 188.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से गौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबडा एवं पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते हैं कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 07.12.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दपत्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 11.7.2. लि. च. 188/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर